कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक :– 01/यो0ब0 –39/2021–557 **दिनांक :–05.09.2022**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत **रू0 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख रूपये)** मात्र की राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–04/यो0ब0–15/2022–10/स्वी0 व0प0 दिनांक 28.07.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–15/2022–27/आ0 व0प0 दिनांक 29.08.2022।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022–23 में "पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत कुल **रू0 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख रूपये)** मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में लघुशीर्ष/इकाईवार राशि निम्नवत उप–आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	"2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष 73–पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान योजना"	79–सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19S240601101730106 79	9500.000
	कुल आवंटित राशि			**950.000**

ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।

2. वर्त्तमान आवंटित राशि **रू0 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख रूपये)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में "पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान" योजना (अन्य व्यय) का बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप

शीर्ष 73–पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के अन्तर्गत 79–सहायता अनुदान सामान्य इकाई में विकलनीय होगा।

3. इस योजना के अंतर्गत वनस्पतियों और जीवों के लिए प्राकृतिक वन के संरक्षण और विकास के लिए रू0 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध स्वीकृत है। टाइगर ट्रांसलोकेशन, बेतला के कंपार्टमेंट I और II की बाड़ लगाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट का कार्यान्वयन जिसमें तेनु, लकुइया, जोगियाडेरा, धार–धारिया घास के मैदानों के पास सॉफ्ट रिलीज केन्द्रों का निर्माण, घास मैदानों का मानचित्रण और विकास, विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण, पीटी0आर में और उसके आसपास रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण और जागरूकता आदि शामिल है। यह Palamau Tiger Conservation Foundation (PTCF) को दिये गये जनादेश को पूरा करने के अलावा बेतला राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण और विकास के प्रयासों को मजबूत किया जायेगा।

4. इस राशि का व्यय पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2022–23 के लिए) के अनुरुप ही किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से APO की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त सक्षम स्तर से आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची एवं इस कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

5. (I) उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वन उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो एकमुश्त राशि के बजाय नियमित व्यय के विरूद्ध राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 1800/वि0, दिनांक 15.07.2003 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(III) कार्य योजना के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के कार्यान्वयन से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

(IV) Regeneration site विकसित करने के क्रम में Web portal के माध्यम से Geo taggaing कराने से संबंधित योजना पर कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाए।

(V) राशि की निकासी कर पी0एल0खाता के माध्यम से व्यय किया जायेगा। योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(III) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(IV) सभी भुगतान DBT के माध्यम से बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा।

(V) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

7. (I) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

8. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेज़र वन संरक्षक/अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त नियमावली, कोषागार संहिता एवं वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

5/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-**01/यो0ब0 -39/2021-557** दिनांक :-**05.09.2022**

प्रतिलिपि-अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

5/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-**01/यो0ब0 -39/2021-557** दिनांक :-**05.09.2022**

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

5/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-39/2021/557 दिनांक - 05-Sep-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110173010679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 73 - पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन को अनुदान 01-पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेसन को अनुदान 06 - अनुदान State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	46771	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	95,000,000.00 रुपये नौ करोड पचास लाख

योग: रुपये नौ करोड पचास लाख 95,000,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 59.98.30.177 Run Date: 5/9/2022